संख्याः–55 /XX(5)/12–05(हो0गा0)/बजट/2012

प्रेषक,

एम0एस0चौहान,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड देहरादून।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक 30 जनवरी, 2013

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 में होमगार्ड्स विभाग हेतु अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–02–होमगार्ड्स बल हेतु भारत सरकार से प्राप्त विशेष उन्नयन योजना के अन्तर्गत अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–सीजी–68/होगा/2011/787 दिनांक 28.12.2012 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, महोदय वित्तीय वर्ष–2012–13 के लिये होमगार्ड्स विभाग हेतु अनुपूरक के माध्यक से प्राविधानित अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेतर–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधारित योजनायें–02–होमगार्ड्स बल की स्वीकृति धनराशि रू0 1,65,21,000/– (रू0 एक करोड़ पैंसठ लाख इक्कीस हजार मात्र) निम्न विवरणानुसार निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग के निवर्तन पर रखने की सहर्षि स्वीकृति प्रदान करते हैः–

अनुदान संख्या–06 लेखार्शीषक–2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–02–होमगार्ड्स बल हेतु भारत सरकार से प्राप्त विशेष उन्नयन योजनाः–

क्र.स.	मद का नाम	अनुपूरक मांग की प्रावधानित धनराशि	शासन से निर्गत धनराशि
1.	12–कार्यलाय फर्नीचर एवं उपकरण	रू0 85,61,000/–	रू0 85,61,000/–
2.	14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाडियों का क्रय	रू0 21,00,000/–	रू0 21,00,000/–
3.	26–मशीने और साज/उपकरण और संयंत्र	21,61,000/–	21,61,000/–
4.	31–सामग्री और सम्पूर्ति	21,48,000/–	21,48,000/–
5.	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	15,51,000/–	15,51,000/–
योग (रू0 एक करोड़ पैंसठ लाख इक्कीस हजार मात्र)		**1,65,21,000/–**	**1,65,21,000/–**

2– यह आदेश वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–321/XXVII(1)/2012 दिनांक 19.06.2012 में प्राप्त उनकी सहमति व दी गयी शर्तो के अधीन जारी किया जा रहा है।

3– जिन मामलों में बजट, मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायें।

4– बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

5– जारी स्वीकृति के सापेक्ष व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग तथा गृह विभाग को प्रत्येक माह विलम्बतम 20 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायें।

6– मितव्ययिता सम्बन्धी शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

7– अलोटमेंट आई0डी0–S1301060379 आवंटन पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2013 (पत्र के साथ संलग्न)।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–2013 के अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक–2070 –अन्य प्रशासनिक सेवायें–00–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–02–होमगार्ड्स बल हेतु भारत सरकार से प्राप्त विशेष उन्नयन योजना के अन्तर्गत 12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण 14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफकारों/मोटर गाड़ियों का क्रय 26–मशीने और साज/उपकरण संयंत्र 31–सामग्री और सम्पूर्ति 46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एम0एस0चौहान)
अनु सचिव।

संख्याः– 55 xx(5)12–05(हो0गा0)/बजट/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3–वित्त अनुभाग–1/5, उत्तराखण्ड शासन।
4–एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
5–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम0एस0चौहान)
अनु सचिव।